दिनांकः 04-11-2011

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये समयसीमा निर्धारित की गयी

श्री बृज लाल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने कहा है कि लोकतन्त्र में जनता का हित सर्वोपरि है, इसलिये स्वाभाविक रूप से किसी भी शासकीय विभाग की कार्यप्रणाली में जन समस्याओं का निराकरण विभाग का प्रमुख उत्तरदायित्व बनता है ।

उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का पदभार ग्रहण करने के उपरांत ही यह अपेक्षा की गयी कि समाज के पीड़ित व उपेक्षितजन की समस्याओं का विधिसम्मत एवं त्वरित निस्तारण करने हेतु पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवायें निश्चित समयसीमा में एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध करायी जायें।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नागरिक अधिकार पत्र एवं विभिन्न सेवाओं की समयावधि में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने अपेक्षा की है कि इस योजना का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये मुख्य रूप से नागरिक अधिकारी पत्र को बड़े अक्षरों में थाना/कार्यालय में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये, जिससे सभी आगन्तुको को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह भी अंकित किया जाये कि निर्धारित समयावधि में कार्य न होने पर जनता किस अधिकारी से एवं किस दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का निराकरण करा सकती है ।

उक्त कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उन्होनं स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका निकटतम पर्यवेक्षण किया जाये तथा जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपनी मासिक समीक्षा बैठक में थानेवार कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाये एवं कार्य में तेजी लायी जाये। अनवाश्यक विलम्ब व शिथिलता परिलक्षित होने पर दोषी कर्मी के

विरूद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा भी जनपदों के भ्रमण के दौरान कार्ययोजना का अनुश्रवण अवश्य किया जाये।

नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)

आपके अधिकार

1- आपकी दी हुई सूचना पर एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 निशुल्क दर्ज की जाती है व इसकी एक प्रति आपको निशुल्क प्रदान कर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है ।

2- थाने पर दी गयी किसी सूचना/प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें ।

3- पुलिस दूसरे थाने की घटना/गलत सूचना कहकर आपकी एफ0आई0आर0/एन0 सी0आर0 दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है ।

4- आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे की विवेचना समाप्त होने पर परिणाम की लिखित सूचना आपको निशुल्क प्रदान की जाती है ।

5- मृतक के परिवार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

6- पुलिस आपको बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती है ।

7- गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपना वकील रखने का अधिकार है तथा यह पुलिस का दायित्व है कि वह आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके परिजनों को दे।

8- महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती है । (केवल अपहरिहार्य परिस्थितियों में कानून के प्राविधान के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी)

9- बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नही बुलाया जायेगा ।

10- आपसे पूछताछ करने वाले जनपदीय कार्यकारी अधिकारी वर्दी में होंगे और उनके नेम प्लेट साफ प्रदर्शित होंगे । कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय अपने पहचान पत्र अवश्य साथ रखेंगे ।

नागरिक को प्रदत्त सुविधायें

1- आपके पासपोर्ट शस्त्र लाइसेंस पी0वी0आर0, एम0वी0आर0, जी0आर0, सी0वी0आर, कार्यक्रमों के आयोजन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आदि के सत्यापन के लिये आवेदक को थाने आने की आवश्यकता नहीं है ।

2- यातायात चालान सम्बन्धी सभी कागजातों को शमन क्षेत्राधिकारी कार्यालय/ अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 7 कार्य दिवस के अन्दर होता है तथा बाद शमन कागजात भी वहीं से प्राप्त होते हैं । थाना स्तर के कर्मचारी द्वारा थाने पर अनावश्यक रूप से आपको बुलाया नहीं जायेगा ।

3- प्रत्येक थाने पर प्रत्येक माह में 02 बार थाना दिवस का आयोजन होता है जिसमें राजस्व विभाग के साथ-साथ विद्युत/नगर निगम, जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं । ऐसे जन समम्यायें जिनका निराकरण पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागों के समन्वय से ही हो सकता है, उनके सम्बंधित आवेदन थाना दिवस पर ही किया जाय ।

जनता की सेवाओं हेतु निर्धारित समयावधि

क0सं0	**कार्य का विवरण**	**थाना स्तर पर**	**अन्य कार्यालय स्तर पर**
1-	अपराधों का पंजीकरण	तत्काल	अपेक्षित नहीं
2-	लाइसेंस शस्त्र की जॉच	10 कार्य दिवस (जिलाधिकारी से पुलिस कार्यालय को आवेदन पत्र अग्रसारित होने के बाद 03 कार्य दिवस के अन्दर थानों को प्रेषित किया जायेगा, तदोपरान्त 07 दिन के अन्दर सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा)	-डी0सी0आर0बी0 स्तर पर 03 कार्य दिवस -क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर 03 कार्य दिवस -पुलिस अधीक्षक स्तर पर कुल (प्राप्ति व प्रेषण)- 04 कार्य दिवस **(कुल 20 कार्य दिवस थाना सहित)** **नोट**- शस्त्र लाइसेंस हेतु सामान्यत: स्थानीय अभिसूचना इकाई से जॉच

			की आवश्यकता नहीं है । विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया जा सकता है ।
3-	पासपोर्ट सत्यापन	07 कार्य दिवस पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र का पार्ट-ए 01 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित थाने को प्रेषित किया जायेगा । थाने द्वारा जॉच हेतु नियत 07 दिवस में ही स्थानीय अभिसूचना इकाई से भी आख्या प्राप्त की जायेगी। सामान्यत: स्थानीय अभिसूचन इकाई की जॉच अभिलेखों के आधार पर की जायेगी। विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मौके पर जाकर जॉच की जायेगी।	-नोडल अधिकारी द्वारा पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 01 दिन के अन्दर पार्ट-ए सम्बन्धित थाना को तथा पार्ट-बी अभिसूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा । -अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ 10 दिन के अन्दर सत्यापन का कार्य पूर्ण करेगा । -थाना/अभिसूचना के सत्यापन के बाद नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 04 दिन के अन्दर वापस पासपोर्ट कार्यालय को टिप्पणी के साथ भेजा जायेगा। **(कुल 15 दिवस)**
4-	चरित्र सत्यापन (PVR, MVR, Pr.V.R. etc.	07 कार्य दिवस	-जिलाधिकारी/अन्य कार्यालय से प्राप्ति के एक दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जायेगा । -थाने से वापस आने के बाद प्रज्ञान कार्यालय स्तर पर 03 कार्य दिवस (अभिलेख के अनुसार आख्या । विशेष प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के

			स्पष्ट आदेश पर ही मौके पर जॉच) -थाना/अभिसूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 04 दिन के अन्दर वापस सम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा। **(कुल 15 कार्य दिवस)**
5-	चरित्र सत्यापन (ठेकेदारों हेतु)	10 कार्य दिवस	-जिलाधिकारी/अन्य कार्यालय से प्राप्ति के एक दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जायेगा। -थाने से वापस आने के बाद प्रज्ञान कार्यालय स्तर पर-03 कार्य दिवस क्षेत्राधिकारी कार्यालय-03 कार्य दिवस -डीसीआरबी-.03 कार्य दिवस -पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 05 दिन के अन्दर वापस सम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा । **(कुल 25 कार्य दिवस)**
6-	थाना स्तर पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	07 कार्य दिवस जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घन्टा	सम्बन्धित नहीं है।
7-	उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायती पत्र	07 कार्य दिवस जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घन्टा	1. थाना स्तर पर प्रेषण हेतु 02 कार्य दिवस/ जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में तत्काल 2. थाने से प्राप्त जांच आख्या के परीक्षण हेतु प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी के स्तर पर 03 कार्य दिवस
8-	अप्राकृतिक मृत्यु/दैनिक आपदा में मृत्यु पर कार्यवाही	तत्काल	तत्काल

9–	न्यायालय से प्राप्त तामीला/अनुपालन आदेश	न्यायालय द्वारा समय निर्धारित होने पर–यथानिर्दिष्ट अन्य मामलों में 05 कार्य दिवस	यथा निर्दिष्ट
10–	खोये/पाये वस्तुओं की सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही	तत्काल	तत्काल
11–	गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही	तत्काल	तत्काल
12–	शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु	एक सप्ताह	डी0सी0आर0बी0 04 कार्य दिवस पुलिस कार्यालय–04 कार्य दिवस (थाना सहित कुल 15 कार्य दिवस)
13–	पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति दिया जाना	03 कार्य दिवस	थाने को भेजने में 02 कार्य दिवस वापस आने पर कार्यवाही–03 कार्य दिवस
14–	चालान	24 घन्टे में पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रेषित करना	03 कार्य दिवस में न्यायालय में दाखिल करना
15–	अग्निशमन द्वारा एन0ओ0सी0	15 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु 02 कार्य दिवस के अन्दर निर्णय लिया जायेगा)	क्षेत्राधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय–05 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु 02 कार्य दिवस के अन्दर)
16–	सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से सम्बन्धित अनुमति/अनुशंसा	12 घंटा	03 कार्य दिवस

नोटः– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु एक स्तर से दूसरे स्तर को पत्रादि अधिकतम 03 कार्य दिवस में अग्रसारित कर दिए जायें।

थाने की सेवा प्राप्त करने में असुविधा होती है अथवा अमुक कार्य के निस्तारण में नियत समयावधि से अधिक समय लगता है, तो जनपद द्वारा निर्धारित दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।